

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 204 / 2009 / चित्तौड़गढ़.

मैसर्स फर्नेश फेब्रिका इण्डिया लिमिटेड,
मीरा मार्केट, चित्तौड़गढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, वृत्त-ए, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.


निर्णय दिनांक : 28 / 01 / 2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 69/वेट/2007-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 11.11.2008 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-अ, उदयपुर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.11.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2007 को एकलिंगपुरा चौराहा, उदयपुर में वाहन संख्या G.J.-7Y/7036 को चैक किये जाने पर वाहन में Tools and Tackles on Returnable Basis का मुम्बई से उदयपुर के लिये परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी ने माल से सम्बन्धित यूनियन रोडवेज लिमिटेड, मुम्बई का मेनिफेस्ट नं० 041312 दिनांक 26.10.2007; बिल्टी संख्या 050478 दिनांक 26.10.2007; मैसर्स फर्नेश फेब्रिका इण्डिया, मुम्बई का इन्वॉयस संख्या 039/07-08 दिनांक 26.10.2007; घोषणा-पत्र वेट 47 संख्या 0672393 एवं एनेक्श्चर-I प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि एनेक्श्चर-I में Tools and Tackles on Returnable Basis के साथ 'वैलडिंग इलेक्ट्रोड्स' (कन्ज्यूमेबल


लगातार.....2



आईटम) भी परिवहनित किये जा रहे हैं। साथ ही चैकपोस्ट रतनपुर पर बिल, बिल्टी एवं घोषणा-पत्र वैट-47 प्रस्तुत किया जाना पाया गया, जबकि एनेक्श्चर-I प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। चैकपोस्ट रतनपुर से जानकारी करने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैकपोस्ट रतनपुर ने पत्र क्रमांक 845 दिनांक 28.10.2007 से अवगत करवाया कि चैकपोस्ट पर बिल्टी संख्या 050478, इन्वॉयस संख्या 039/07-08 एवं फॉर्म वैट-47 संख्या 0672393 ही प्रस्तुत किये गये हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा इस बाबत प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस सुनवाई दिनांक 13.11.2007 के लिये जारी किये जाने पर अपीलार्थी फर्म के डिप्टी मैनेजर एकाउण्ट्स द्वारा जवाब दिनांक 02.11.2007 को प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि "इस बारे में निवेदन है कि नोटीस में लगाये गये कर वचना के आरोप कम्पनी की ओर से स्वीकार करता हूँ तथा नोटीस के बारे में मुझे अन्य कोई स्पस्टीकरण प्रस्तुत नहीं करना है। चुंकी उक्त माल की हमें निर्माण कार्य में आवश्यकता है। अतः वाद का निर्णय दिनांक 13/11/2007 के स्थान पर आज ही करने की कृपा करें। मैं बनने वाला कर तथा पेनल्टी को चुकाने के लिये तैयार हूँ जिसके लिये-में DD/BC क्रमांक 045186 dt. 2/11/07 SBI UDAIPUR प्रस्तुत कर रहा हूँ।" उक्त जवाब के आधार पर सक्षम अधिकारी ने परिवहनित माल करापवचन की मंशा से आयात करने के आधार पर आदेश दिनांक 02.11.2007 पारित करते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,27,500/- एवं 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 17,000/- का आरोपण किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2008 से स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। दस्तावेजों के अनुसार ही माल का परिवहन किया जा रहा था। समस्त दस्तावेज चैकपोस्ट रतनपुर पर प्रस्तुत किये गये थे। भूलवश एनेक्श्चर-I प्रस्तुत किया जाना रह गया, जिसमें उनकी किसी प्रकार की करापवचन की मंशा नहीं है। एनेक्श्चर-I में माल की अनुमानित कीमत 4,25,000/- अंकित की गई है एवं यही कीमत इन्वॉयस में एवं घोषणा-पत्र वैट-47 में भी अंकित है। व्यवहारी द्वारा कन्ज्यूमेबल आईटम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का आयात ठेका कार्य में उपयोग करने



हेतु किया गया था, ना कि विक्रय हेतु। माल का प्रेषक एवं प्रेषिती एक ही व्यवहारी है एवं ठेका कार्य के निष्पादन हेतु समस्त माल आयात किया गया था, जिसमें करापवंचन की सम्भावना नहीं थी। संविदा कार्य भी मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लिये सम्पादित किया जाना था, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, जिसमें करापवंचन की सम्भावना नहीं रहती है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा करापवंचन की मंशा से एनेक्श्चर-1 चैकपोस्ट रतनपुर पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर शास्ति व वैट का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है, साथ ही अपीलीय अधिकारी ने भी सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त चैकिंग वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये बिल, बिल्टी एवं घोषणा-पत्र में Tools and Tackles on Returnable Basis only लिखा हुआ है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का कहीं भी इन्द्राज नहीं किया गया है, केवल एनेक्श्चर-1 में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का इन्द्राज किया गया था। एनेक्श्चर-1 चैकपोस्ट रतनपुर पर पेश नहीं किया गया, इससे स्वतः प्रमाणित है कि यदि वाहन की चैकिंग नहीं होती तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, जो कि कन्ज्यूमेबल आईटम है, पर देय कर से राज्य को वंचित होना पड़ता। अन्य आईटम, जो कि दस्तावेजों में इन्द्राजित हैं, वापस लौटाने योग्य हैं, जिस पर करारोपण का प्रश्न ही नहीं रहता है। इस प्रकार प्रश्नगत संव्यवहार करापवंचन की मनोदशा से किया जाना स्पष्ट है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित वैट व शास्ति पूर्णतः विधिसम्मत है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच माल Tools and Tackles on Returnable Basis only से सम्बन्धित बिल, बिल्टी व घोषणा पत्र वैट-47 प्रस्तुत किये गये। माल का भौतिक सत्यापन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेज एनेक्श्चर-1 के अवलोकन से पाया गया कि वाहन में वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स भी परिवहनित की जा रही थी, जिसका ना तो दस्तावेजों में इन्द्राज किया गया एवं ना ही इससे सम्बन्धित एनेक्श्चर-1 को चैकपोस्ट रतनपुर पर

कतोदाश


प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों में अंकित माल Tools and Tackles on Returnable Basis only से स्पष्ट है कि उक्त माल वापस लौटाने योग्य था, जिस पर करारोपण का प्रश्न ही नहीं था। कर योग्य माल केवल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स था, जिसका दस्तावेजों में कोई हवाला नहीं दिया गया एवं इससे सम्बन्धित एनेक्श्चर-1 को चैकपोस्ट रतनपुर पर प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी का उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से करापवंचन की मंशा से किया जाना पाया जाता है। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त अनियमितता के लिये अपीलार्थी को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया गया एवं देय कर एवं शास्ति जमा कराने की स्वीकारोक्ति प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी को किसी प्रकार की अग्रिम जांच की आवश्यकता नहीं थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि व्यवहारी की स्वीकारोक्ति के उपरान्त प्रकरण में किसी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं रहती है।

8. प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों में सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की करापवंचन की मंशा को मद्देनजर रखते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। इसी प्रकार शास्ति राशि की सीमा तक अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

9. जहां तक शास्ति आदेश में वैट आरोपित करने का प्रश्न है, उचित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वैट माल प्रेषक/प्रेषिति की पहचान घोषित नहीं होने की स्थिति में ही वैट अधिनियम की धारा 76(12) के तहत आरोपित किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषक/प्रेषिति दोनों ही पंजीकृत व्यवहारी हैं, अतः वैट आरोपण को अविधिक ठहराया जाता है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आरोपित वैट राशि रूपये 17,000/- की सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है तथा धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,27,500/- की सीमा तक सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


28-01-2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य